



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: L65910DL1986GOI024862

ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001, भारत

दूरभाष सं.: +91 11 23556000, फैक्स: +91 11 23512545,

ई-मेल आईडी: investorsgrievancepfcindia.com

वेबसाइट: www.pfcindia.com

सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की पैंतीसवीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यवाही पूरी करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के जरिए मंगलवार, 21 सितंबर, 2021 को अपराह्न 12:30 बजे आयोजित की जाएगी:-

सामान्य कार्यवाही

- दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षित वित्तीय विवरणों, उन पर निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश की घोषणा करना।
- श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन: 08530587) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन पर सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होने के कारण स्वयं के लिए प्रस्ताव किया है।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

मनोहर बलवानी

मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:

ऊर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन,

कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली - 110 001

सीआईएन: L65910DL1986GOI024862

दिनांक: 26 अगस्त, 2021

टिप्पणी:

1. कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 के परिपत्रों के साथ पठित 13 जनवरी, 2021 के अपने परिपत्र द्वारा (सभी मिलकर 'एमसीए परिपत्रों' के रूप में उल्लिखित) एक साझा स्थान पर सदस्यों की वास्तविक मौजूदगी के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। एमसीए परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम') के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम के लिए मानित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
2. कंपनी ने सदस्यों को केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक), रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) द्वारा प्रदान की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से 35^{वां} एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की है। सदस्यों द्वारा भाग लेने के लिए अनुदेश आगामी पैरा में दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम एजीएम में भाग लेने की अनुमति पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर होगी।
3. एमसीए परिपत्रों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 35^{वां} एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।
4. कंपनी, सदस्यों को एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग 17 सितंबर, 2021 को पूर्वाह्न 10.00 बजे शुरू होगी और 20 सितंबर, 2021 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी। केफिनटेक द्वारा 20 सितंबर, 2021 को अपराह्न 5.00 बजे ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। ई-वोटिंग की प्रक्रिया अगले पैरा में दी गई है। यह ई-वोटिंग सुविधा वोटिंग के अतिरिक्त है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही 35^{वां} वार्षिक आम बैठक में की जाएगी।
5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट पहले नहीं डाला है, उन्हें एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वे एजीएम में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें पुनः अपना वोट देने का हक नहीं होगा।

एक बार किसी सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट दे दिया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। कोई सदस्य वोटिंग के केवल सिंगल मोड का ही चयन कर सकता है अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में वोटिंग के माध्यम से। यदि कोई सदस्य दोनों माध्यम से वोट डालता है, तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से की

गई वोटिंग मान्य होगी और एजीएम के समय दिया गया वोट अवैध माना जाएगा।

6. कंपनी ने बुधवार, 15 सितंबर, 2021 की तारीख का निर्धारण 35^{वां} एजीएम में की जाने वाली कार्यवाही की मर्दों के संबंध में वोट देने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए निर्धारित तारीख के रूप में की है। कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीयों द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में, निर्धारित तारीख के अनुसार दर्ज किया गया है, उसे रिमोट ई-वोटिंग के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हक होगा। वोटिंग का अधिकार नियत तारीख के अनुसार सदस्यों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होगा। सदस्य केवल तभी वोट देने के लिए पात्र होंगे, जब उनके पास इस समय धारित शेयर हों। कृपया यह नोट करें कि ऐसा कोई व्यक्ति जो नियत तारीख को कंपनी का सदस्य नहीं है, वह इस नोटिस को केवल सूचना के रूप में माने।
7. कंपनी ने श्री अमित अग्रवाल, प्रोपराइटर, मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, (एफसीएस सं.: 5311, सी.पी. सं.: 3647) को ई-वोटिंग प्रक्रिया की एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए एक संवीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।
8. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और वोट करने के लिए पात्र कोई सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकता है। चूंकि 35^{वां} एजीएम, एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति अनावश्यक हो गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा 35^{वां} एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसीलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति स्लिप और रूट मानचित्र इस सूचना के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं।
9. कॉर्पोरेट सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और उनकी ओर से वोट करने के लिए अपने प्रतिनिधि अधिकृत करने हेतु बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी आवश्यक है। यह संकल्प/अधिकार-पत्र scrut.amitagcs@gmail.com के पंजीकृत ई-मेल पते के माध्यम से और एक प्रतिलिपि evoting@kfintech.com को भेजते हुए संवीक्षक को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।
10. यदि बैठक में संयुक्त धारक भाग ले रहे हैं, तो केवल ऐसा संयुक्त धारक ही वोट के लिए हकदार होगा, जो नामों में उच्च क्रम पर है।
11. सदस्यों के लिए रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक गुरुवार, 2 सितंबर, 2021 से मंगलवार, 21 सितंबर, 2021 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।
12. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, 35^{वां} एजीएम की सूचना और साथ में वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 ऐसे सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरीयों के पास दर्ज है। कृपया सदस्य यह नोट करें कि यह सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कंपनी के वेबसाइट <https://www.pfcindia.com/investors/annual-reports/>, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा केफिनेक, आरटीए की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर भी उपलब्ध है।

13. जून, 2021 के दौरान, पीएफसी ने अपने शेयरधारकों को नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से अपने ई-मेल पते अद्यतन करने के लिए एक अवसर प्रदान किया। जुलाई, 2021 के दौरान, एनएसडीएल ने यह सूचित किया कि शेयरधारकों के 114 ई-मेल पते उनके द्वारा अद्यतन किए गए थे और सीडीएसएल ने यह सूचित किया कि शेयरधारकों के 427 ई-मेल पते अद्यतन किए गए थे।

जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, जैसा भी मामला हो, के पास अपने ई-मेल पते दर्ज नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे 35^{वां} एजीएम के लिए शेयरधारकों के ई-मेल पतों के अस्थायी पंजीकरण के लिए केफिनेक की वेबसाइट <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> पर जाएं और वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस तथा वोटिंग के लिए अनुदेश प्राप्त करने हेतु लेडिंग पेज पर उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करें।

14. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत अपेक्षानुसार रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने वाले और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार यथा लागू सूचना की मद सं. 3 के अंतर्गत पुनः नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का संक्षिप्त प्रोफाइल इस सूचना के साथ संलग्न है।
15. निदेशक मंडल ने 12 मार्च, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 80% की दर से (₹8 प्रति शेयर (टीडीएस की कटौती के अध्यक्षीन) अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी, जिसका भुगतान 31 मार्च, 2021 को कर दिया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा 15 जून, 2021 को आयोजित बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार, ₹10 प्रति शेयर के प्रदत्त इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य पर 20% की दर से (₹200 प्रति शेयर) (टीडीएस की कटौती के अध्यक्षीन) अंतिम लाभांश के लिए, यदि सदस्यों द्वारा वार्षिक बैठक में अनुमोदित किया जाता है, तो सदस्यों को अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति को, जिनके नाम भौतिक शेयर के संबंध में 2 जुलाई, 2021 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में मौजूद हैं, 20 अक्टूबर, 2021 अथवा उसके बाद भुगतान किया जाएगा। डीमैटीरियलाइज्ड शेयरों के मामले में, लाभांश का भुगतान शेयरों के लाभार्थियों को किया जाएगा, जिनके नाम 2 जुलाई, 2021 को कारोबारी समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए लाभार्थी स्वामित्व विवरणों में प्रतीत होते हैं।

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में, लाभांश आय 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के पास करयोग्य होगी और कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') में यथानिर्धारित दरों पर सदस्यों को प्रदत्त भुगतान से स्रोत पर कटौती (टीडीएस) करनी

आवश्यक होगी। कंपनी द्वारा भविष्य में घोषित लाभांशों के संदर्भ में टीडीएस की अपेक्षाओं की अनुपालना करने के लिए, सदस्यों से वार्षिक आधार पर फॉर्म 15जी/15एच प्रस्तुत करने, उनकी आवासीय स्थिति, पेन नंबर, आईटी अधिनियम के अनुसार उनकी श्रेणी के संबंध में ब्यौरे डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अथवा यदि शेयर भौतिक रूप में हैं, तो कंपनी/आरटीए के पास अद्यतन करने का अनुरोध किया जाता है ताकि भविष्य में कंपनी द्वारा किए लाभांश के भुगतानों के संबंध में लागू दरों पर और आवासीय स्थिति के अनुसार स्रोत पर कर, यदि कोई हो, की कटौती की जा सके।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षक की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की जाती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसरण में, कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में अथवा आम बैठक में यथानिर्धारित किसी अन्य तरीके से उनके पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सदस्य, निदेशक मंडल को, बोर्ड द्वारा यथा उपयुक्त तरीके से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षकों के उपयुक्त पारिश्रमिक का निर्धारण करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं।
17. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) के परंतुक के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी की प्रतिभूतियों का अंतरण तब तक शुरू नहीं किया जाएगा, जब तक प्रतिभूतियां किसी डिपॉजिटरी में डीमैटीरियलाइज्ड रूप में रखी न गई हो। तदनुसार, भौतिक रूप में इक्विटी शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैटीरियलाइज्ड रूप में रखें ताकि वे उन्हें आसानी से अंतरण कर सकें और कॉर्पोरेट कार्यों में भाग ले सकें।
18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के साथ पठित धारा 124 के अनुसरण में, सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त/अदावा की गई लाभांश की राशि केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित करनी आवश्यक है। जिन शेयरों के संबंध में लाभांशों का भुगतान नहीं किया गया है अथवा लगातार सात वर्ष या अधिक अवधि तक के लिए दावा नहीं किया गया है, वे आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। जिन सदस्यों के संबंध में अदावा की गई लाभांशों/शेयरों की राशि आईईपीएफ को हस्तांतरित कर दी गई है, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक ऑनलाइन आवेदन करके उसका दावा कर सकते हैं। ऐसे निवेशकों के ब्यौरे जिनका भुगतान बकाया है, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, ताकि निवेशक उनका दावा कर सकें।
19. सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम (ईसीएस) में डेट प्रस्तुत करें ताकि कंपनी ईसीएस के माध्यम से उनका भुगतान कर सके। जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, वे ईसीएस में डेट फॉर्म प्राप्त करके केफिनेक, कंपनी के आरटीए को भेज

सकते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, वे ईसीएस में डेट फॉर्म प्राप्त करे सीधे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) को भेज सकते हैं। जिन्होंने पहले ही ईसीएस में डेट फॉर्म कंपनी/आरटीए/डीपी को प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें पूरा ब्यौरा पुनः भेजने की जरूरत नहीं है।

20. जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और ईसीएस सुविधा का विकल्प नहीं चाहते, वे कृपया अपने बैंक का नाम, शाखा का पता और खाता संख्या व आईएफएससी और एमआईसीआर कोड के फिनटेक कंपनी के आरटीए को भेजें।
21. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। जिन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी पैन संख्या अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को भेजें, जिनके पास वे अपने डीमैट खाते का रख-रखाव कर रहे हैं। अंतरिती के लिए भी यह अनिवार्य हो गया है कि वह अंतरणों का पंजीकरण कराने के लिए प्रतिभूति बाजार लेनदेनों तथा ऑफ मार्केट/निजी लेनदेनों के लिए, जिनमें सूचीबद्ध कंपनियों के भौतिक रूप में शेयरों का अंतरण शामिल है, कंपनी/आरटीए को पैन कार्ड की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करें। तदनुसार, शेयरों को भौतिक रूप में धारण करने वाले सदस्य अपना पैन कंपनी/केफिनटेक, कंपनी के आरटीए को प्रस्तुत कर सकते हैं।
22. भौतिक रूप में बहु फोलियो में शेयरधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संगत शेयर प्रमाण-पत्रों सहित कंपनी अथवा केफिनटेक, कंपनी के आरटीए को एक फोलियो में अपनी होल्डिंग को समेकित करने हेतु आवेदन करें। ऐसे सदस्यों को, अपेक्षित बदलाव करने के बाद एक समेकित शेयर प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
23. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे शेयरों अथवा किसी अन्य मामले में ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन, सब डिवीजन, समेकन और/अथवा नाम, पते, ई-मेल पते, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, नामांकन, पावर ऑफ अटॉर्नी अथवा बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम एवं शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि में बदलाव से संबंधित समस्त पत्राचार कंपनी के आरटीए को भेजें तथा यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं तो अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी को भेजें।
24. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में कोई नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अंतर्गत अनुमत है, से अनुरोध किया जाता है कि वे केफिनटेक, कंपनी

के आरटीए को निर्धारित प्रारूप में लिखें। यदि शेयर डीमैट/रियलाइज्ड रूप में हैं तो संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास नामांकन दर्ज कराएं।

25. वित्तीय विवरणों और इस बैठक की कार्यवाही की किसी अन्य मद(ओं) के संबंध में कोई भी सूचना चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के कंपनी सचिव को agm2021@pfcindia.com पर ई-मेल के माध्यम से बैठक की तारीख से कम-से-कम पंद्रह दिन पहले भेजें। कंपनी द्वारा उसका उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।
26. संबद्ध सूचना और स्पष्टीकरण विवरण तथा सांविधिक रजिस्टर में उल्लिखित समस्त दस्तावेज इस सूचना के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख अर्थात् 21 सितंबर, 2021 तक कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध रहेंगे।
27. संकल्पों के परिणाम कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद घोषित किए जाएंगे और संकल्पों को वार्षिक आम बैठक की तारीख को पारित किया गया माना जाएगा, बशर्ते कि संकल्पों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त हों। घोषित किए गए परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.pfcindia.com) पर और केफिनटेक की वेबसाइट (<https://evoting.kfintech.com>) पर उपलब्ध होंगे और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सभी शेयरधारकों को इस बैठक में विचार की जाने वाली मद्दों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव कर रही है। कंपनी ने एजीएम के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु केफिनटेक की सेवाएं लेने के लिए अनुबंध किया है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि 17 सितंबर, 2021 को प्रातः 10:00 बजे से शुरू होकर 20 सितंबर, 2021 को अपराहन 5.00 बजे तक रहेगी। ई-वोटिंग मॉड्यूल उसी दिन केफिनटेक द्वारा 5.00 बजे अपराहन में बंद कर दिया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश नीचे दिए गए हैं। सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना वोट देने से पहले इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।



रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश

1. कंपनी के शेयरों को डीमैट रूप में धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग करने के लिए अनुदेश:

सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित परिपत्र के अनुसार, कंपनी के शेयरों को डीमैट रूप में धारण करने वाले सभी व्यक्तिगत शेयरधारक, डिपॉजिटरियों/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइट पर उनके डीमैट खाते के माध्यम से सिंगल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। तदनुसार, डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा यथा विकसित रिमोट ई-वोटिंग सुविधा लॉगिन करने और एक्सेस करने के लिए प्रक्रिया नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की पद्धति
एनएसडीएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>1. आईडीईएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत यूजर के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> https://eservices.nsdl.com पर जाएं। 'आईडीईएस' खंड के अंतर्गत 'लॉगिन' के अंतर्गत 'बेनिफिसियल ऑनर' पर क्लिक करें। नए पेज पर, यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद 'ई-वोटिंग एक्सेस' पर क्लिक करें। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। <p>2. जो यूजर आईडीईएस ई-सर्विसिज के लिए पंजीकृत नहीं है, उनके लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> पंजीकरण के लिए लिंक पर https://eservices.nsdl.com क्लिक करें। 'आईडीईएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण' चुनें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। अपेक्षित फ़िल्ड को भरते हुए आगे बढ़ें। बिंदु 1 में दिए गए स्टेप का अनुसरण करें। <p>3. वैकल्पिक रूप से एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट को सीधे एक्सेस करके:</p> <ol style="list-style-type: none"> यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ खोलें। 'लॉगिन' आइकॉन पर क्लिक करें, जो कि 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन में उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका 16 डिजिट का डीमैट खाता), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई देगा, डालना होगा। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद, आपसे कंपनी का नाम और ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का नाम अर्थात केफिनेटेक का चयन करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। सफलतापूर्वक चयन करने के बाद आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट देने के लिए केफिनेटेक ई-वोटिंग पेज पर ले जाया जायेगा।
सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>1. मौजूदा यूजर, जिन्होंने ईजी/ ईजियस्ट के लिए विकल्प किया है:</p> <ol style="list-style-type: none"> यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा यूआरएल: www.cdslindia.com पर जाएं। न्यू सिस्टम माईईजी पर क्लिक करें। अपने पंजीकृत यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। यूजर को ई-वोटिंग मेन्यू दिखाई देगा। मेन्यू में ईएसपी अर्थात केफिनेटेक ई-वोटिंग पोर्टल के लिए लिंक होगा। वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें। <p>2. जो यूजर ईजी/ ईजियस्ट के लिए पंजीकृत नहीं हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> पंजीकरण के लिए विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। अपेक्षित फ़िल्ड को पूरा करके आगे बढ़ें। बिंदु 1 में दिए गए स्टेप का अनुसरण करें। <p>3. वैकल्पिक रूप से, सीएसडीएल की ई-वोटिंग सुविधा सीधे एक्सेस करके:</p> <ol style="list-style-type: none"> यूआरएल: www.cdslindia.com पर जाएं। अपना डीमैट खाता संख्या और पैन संख्या प्रदान करें। सिस्टम द्वारा, रजिस्टर्ड मोबाइल और ई-मेल पर, जो डीमैट खाते में दर्ज है, ओटीपी भेजकर यूजर का प्रमाणीकरण किया जाएगा। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण करने के बाद यूजर को संबंधित ईएसपी अर्थात केफिनेटेक के लिए लिंक दिया जाएगा, जहां पर कि ई-वोटिंग हो रही है।
अपने डीमैट खाते/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<ol style="list-style-type: none"> ई-वोटिंग सुविधा के लिए आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डीपी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद आप ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी की साइट पर सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद ले जाया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग का फीचर देख सकते हैं। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - केफिनेटेक के लिए उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान बिना आगे प्रमाणीकरण किए, अपना वोट देने के लिए केफिनेटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट पर ले जाया जाएगा।
महत्वपूर्ण टिप्पणी: जो सदस्य यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध फोरगॉट यूजर आईडी और फोरगॉट पासवर्ड के विकल्प का प्रयोग करें।	
डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीएसडीएल के माध्यम से लॉगिन संबंधी किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्प डेस्क।	
व्यक्तिगत सदस्य, जो उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के माध्यम से वोट दे रहे हैं, वे हेल्पलाइन/संपर्क विवरण पर उनके संबंधित डीपी से संपर्क करें।	
लॉगिन टाइप	हेल्प डेस्क ब्यौरा
एनएसडीएल के पास धारित प्रतिभूति	कृपया evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नं. 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर फोन करके एनएसडीएल हेल्प डेस्क पर संपर्क करें।
सीडीएसएल के पास धारित प्रतिभूति	कृपया helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या हेल्प डेस्क 022- 23058738 अथवा 022-23058542-43 पर संपर्क करके सीडीएसएल हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

- II. डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त और भौतिक रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन का तरीका।**
- (क) यदि सदस्य केफिनटेक से ई-मेल प्राप्त कर रहे हैं (ऐसे सदस्यों के लिए लागू, जिनमें ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं):**
- किसी इंटरनेट ब्राउजर पर जाएं और <https://emeetings.kfintech.com/> खोलें।
 - लॉगिन क्रेडेंशियल डालें (अर्थात यूजर आईडी और पासवर्ड)। फिजिकल फोलियो के मामले में, यूजर आईडी, ईवीईएन (ई-वोटिंग ईवेंट नंबर) XXXX, के बाद फोलियो नंबर होगा। यदि डीमैट खाता है तो यूजर आईडी आपका डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी होगा। तथापि, यदि आप पहले से ही केफिनटेक के पास ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
 - उपर्युक्त ब्यौरे डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें।
 - पासवर्ड बदलने का मेन्यू दिखाई देगा। अपनी पसंद का नया पासवर्ड डाल कर पासवर्ड बदलें। नए पासवर्ड में कम-से-कम 8 अक्षर होंगे, जिनमें कम-से-कम एक अपर केस (ए-जेड), एक लोवर केस (ए-जेड); एक अंक (0-9) और एक विशेष अक्षर (@, #, \$, आदि) होगा। सिस्टम आपको पहली बार में लॉगिन पर अपना संपर्क विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, आदि अपडेट करने लिए भी कहेगा। आप एक गुप्त प्रश्न भी डाल सकते हैं और अपना पासवर्ड भूलने की स्थिति में पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का उत्तर डाल सकते हैं। आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और आप पासवर्ड को गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखें। आपकी नए क्रेडेंशियल के साथ पुनः लॉगिन करना होगा।
 - सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर सिस्टम आपको तुरंत पावर फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ईवीईएन का चयन करने और 'सबमिट' पर क्लिक करने के लिए कहेगा।
 - वोटिंग पेज पर 'फोर/अगेंस्ट' के अंतर्गत नियत तारीख अर्थात 15 सितंबर, 2021 तक शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को दर्शाता है) प्रविष्ट करें अथवा वैकल्पिक रूप से आप 'फोर' और 'अगेंस्ट' के लिए कोई अलग संख्या डाल सकते हैं, लेकिन 'फोर'/'अगेंस्ट' में कुल संख्या मिलाकर आपकी ऊपर दी गई कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होगी। आप 'एब्सटेन' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं। यदि सदस्य 'फोर' अथवा 'अगेंस्ट' का उल्लेख नहीं करता तो उसे 'एब्सटेन' माना जाएगा और धारित शेयरों को किसी भी शीर्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा।
 - इसके अतिरिक्त, अनेक फोलियो/ डीमैट खातों को धारण करने वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खातों के लिए अलग वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे।
 - सूचना की प्रत्येक मद के लिए अलग वोटिंग की जानी है। यदि आप किसी भी संबंधित मद पर वोट नहीं करना चाहते हैं तो इसे 'एब्सटेन' माना जाएगा।
- तब आप किसी उपयुक्त विकल्प का चयन करके और 'सबमिट' पर क्लिक करके अपना वोट दे सकते हैं।
 - एक पुष्टि का बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि करने के लिए 'ओके' पर क्लिक करें अथवा संशोधन करने के लिए 'कैंसल' पर क्लिक करें। एक बार जब आपने संकल्प पर वोट दे दिया है, तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी। वोटिंग की अवधि के दौरान, सदस्य संकल्प पर वोट देने तक चाहे जितनी बार लॉगिन कर सकते हैं।
 - कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तिगत, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों के सत्यापित हस्ताक्षर नमूनों के साथ बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि (पीडीएफ फॉर्मेट में) संवीक्षक को ई-मेल आईडी scrut.amitagcs@gmail.com पर और उसकी प्रतिलिपि evoting@kfintech.com पर भी भेजनी अपेक्षित है। उपर्युक्त दस्तावेज की स्कैन की गई ईमेज 'कॉर्पोरेट नाम इवेंट नं.' फॉर्मेट में होनी चाहिए।
- (ख) जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे कृपया ई-वोटिंग के लिए ई-मेल पता, पंजीकरण करने और यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने वाले स्टैप का अनुसरण करें।**
- जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं और जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग अनुदेश प्रदान नहीं किए जा सके हैं, वे <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> लिंक से अस्थायी रूप से केफिनटेक के पास उपलब्ध कराए गए अपने ई-मेल पते और मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ सूचना और ई-वोटिंग अनुदेशों की सॉफ्ट कॉपी भेजकर ई-मेल पते और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देशानुसार प्रक्रिया का अनुसरण करें। यदि कोई प्रश्न हो तो सदस्य einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं।
 - वैकल्पिक रूप से, सदस्य यदि इलेक्ट्रॉनिक फोलियो है, तो ई-मेल पते, मोबाइल नंबर, स्वयं की सत्यापित पैन की प्रतिलिपि और क्लाइंट मास्टर की प्रतिलिपि तथा यदि भौतिक रूप में फोलियो है, तो शेयर प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि, वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना भेजने के लिए प्रदान करते हुए अनुरोध-पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की गई प्रतिलिपि के साथ ई-मेल einward.ris@kfintech.com पर एक ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।
 - कृपया इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना वोट देने के लिए उपर्युक्त सभी स्टैप का अनुसरण करें।
- III. किसी भी प्रकार के प्रश्न के मामले में आप हेल्प और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग मैनुअल को देख सकते हैं, जो केफिनटेक की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है अथवा आप श्री बी. श्रीनिवास (यूनिट: पावर फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से einward.ris@kfintech.com और evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं अथवा केफिनटेक के टोल फ्री नंबर 1-800-309-4001 पर आगे किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं।**
- IV. जिन सदस्यों ने वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद और नियत तारीख अर्थात**



15 सितंबर, 2021 को अथवा उससे पूर्व शेयर अर्जित किए हैं, वे निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोट के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:

क) यदि सदस्य का ई-मेल अथवा मोबाइल नंबर, फोलियो सं./डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी के लिए पंजीकृत है:

सदस्य 9212993399 पर एसएमएस: MYEPWD <space> इवेंट नंबर फोलियो नं. अथवा डीपी आईडी क्लाइंट आईडी भेज सकते हैं।

एनएसडीएल के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE>
IN12345612345678

सीडीएसएल के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE>
1402345612345678

भौतिक के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE>
XXX1234567890

अथवा

सदस्य <https://evoting.kfintech.com> के होम पेज पर जा सकते हैं और पासवर्ड बनाने के लिए 'फोरगॉट पासवर्ड' पर क्लिक करके फोलियो संख्या अथवा डीपी आईडी क्लाइंट आईडी और पैन संख्या डाल सकते हैं।

ख) यदि सदस्य को एजीएम के दौरान अथवा पहले कोई तकनीकी सहायता अथवा सहयोग की आवश्यकता हो, तो उनसे अनुरोध है कि वे केफिनटेक के टोल फ्री नं. 1-800-309-4001 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा उन्हें einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए अनुदेश

1. सदस्य 'वीडियो कॉन्फ्रेंस टैब' को क्लिक करके और <https://emeetings.kfintech.com/> पर यूजर आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके, जो केफिनटेक से प्राप्त मेल में प्रदान किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा, जहां 'इवेंट' और 'कंपनी का नाम' चुना जा सकता है। वीडियो सिंबल पर क्लिक करके बैठक में शामिल होने के लिए बैठक को स्वीकार करें। कृपया यह नोट करें कि जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं अथवा जिनके पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं अथवा यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे उसे इस सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. एजीएम में शामिल होने के लिए सुविधा, एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले शुरू होगी और ऐसे नियत समय के 15 मिनट के बाद समाप्त होगी।

3. सदस्यों के बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम (अधिमानित ब्राउजर) का इस्तेमाल करके बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

4. सदस्यों को दो तरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के लिए वेब केम की सुविधा प्रदान करनी होगी।

5. सदस्यों को यह सलाह दी जाती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुचारु रूप से भाग लेने के लिए स्थिर वाई-फाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करें। प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो रुकावट आ सकती है।

6. जो सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे <https://emeetings.kfintech.com/> पर विजिट कर सकते हैं और अपना नाम, डिमेट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ई-मेल पता और मोबाइल नंबर डालकर, प्रदान किए गए विंडो में अपने प्रश्न पूछने के लिए 'पोस्ट योर क्वेश्चन' टैब पर क्लिक करें। यह विंडो 17 सितंबर, 2021 से 19 सितंबर, 2021 तक सक्रिय रहेगी।

7. उपर्युक्त स्टैप के अतिरिक्त, जो सदस्य बैठक के दौरान बोलना चाहें, वे अपने विचार प्रकट करने के लिए एजीएम के लिए स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं, तदनुसार, सदस्य <https://emeetings.kfintech.com/> पर जाकर और 17 सितंबर, 2021 से 19 सितंबर, 2021 तक 'स्पीकर रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक कर सकते हैं। सदस्यों को एजीएम से पहले एक 'क्यू नंबर' दिया जाएगा। कंपनी के पास केवल उतने सदस्यों को ही एजीएम में बोलने के लिए सीमित रखने का अधिकार है, जिन्होंने स्वयं को पंजीकृत कराया है, जो एजीएम के लिए समय की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

8. जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट देने के पात्र हैं। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। सदस्य अपना वोट देने के लिए स्क्रीन के बायीं ओर वोटिंग आइकन (अंगूठे के निशान) पर क्लिक कर सकते हैं।

9. यदि किसी सदस्य को एजीएम से पूर्व अथवा एजीएम के दौरान कोई तकनीकी सहायता अथवा सहयोग की आवश्यकता हो तो उनसे अनुरोध है कि वे केफिनटेक प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1-800-309-4001 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting@kfintech.com पर उन्हें लिख सकते हैं।

मद सं. 3 के अंतर्गत 35^{वीं} एजीएम में नियुक्ति /पुनः नियुक्ति चाहने के लिए निदेशक का ह्यौरा

नाम	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा
जन्म तिथि और आयु	30.04.1967/ 54
अर्हता	वाणिज्य में स्नातक डिग्री और एक अर्हता-प्राप्त कॉस्ट एकाउंटेंट (सीए) तथा एमबीए हैं।
नियुक्ति की तारीख	01.07.2020
नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 01.07.2020 से पांच वर्ष के लिए अथवा उनकी अधिवार्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।
पारिश्रमिक	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार।
कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव	इनके पास विद्युत क्षेत्र में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव है जिसमें नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनएचपीसी) तथा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) जैसे विद्युत क्षेत्र के प्रमुख संगठन शामिल हैं। इन्होंने वर्ष 2005 में पीएफसी में कार्यग्रहण किया और निदेशक (वित्त), पीएफसी के रूप में कार्यग्रहण करने से पूर्व कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया। इन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से संसाधन जुटाने, बैंकिंग और ट्रेजरी, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान इत्यादि जैसे अनेक वित्तीय पोर्टफोलियो संभाले हैं।
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या और भाग ली गई बैठकों की संख्या	10/10
कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधन और अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य
कंपनी में धारित शेयरों की सं.	2,000
अन्य कंपनियों में निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> • कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड • चेर्यूर इंफ्रा लिमिटेड • पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड • बिहार मेगा पावर लिमिटेड • देवघर मेगा पावर लिमिटेड • छत्तीसगढ़ सुरगुजा पावर लिमिटेड • पीटीसी इंडिया लिमिटेड • एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
सभी सार्वजनिक कंपनियों में समितियों* की अध्यक्षता/ सदस्यता	<p>पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड</p> <ul style="list-style-type: none"> • सदस्य, स्टेकधारक संबंध और स्टेकधारक/निवेशक शिकायत समिति <p>एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड</p> <ul style="list-style-type: none"> • अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

*इसमें लेखापरीक्षा समिति और स्टेकधारक शिकायत समिति के अतिरिक्त बोर्ड, समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता शामिल नहीं है।